09/2018

कार्यालय : महानिरीक्षक पंजीयन एंव मुद्रांक विभाग, 'पंजीयन भवन' अजमेर।

–: परिपत्र :–

विषय :– ई–चालनों व ई–ग्रास चालान व कार्यालयों का नाम संशोधन करने बाबत्।

वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग के परिपत्र संख्या एफ.5 (थ–75) डीटीए/आई.एफ.एम.एस. दिनांक 01.11.2012 के द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार की समस्त राजस्व प्राप्तियाँ ई–ग्रास सिस्टम के माध्यम से ऑनलाइन ई–चालान से प्राप्त हो रही है तथा परिपत्र संख्या एफ.5 (थ–75) डीटीए/आई.एफ.एम.एस./341-940 दिनांक 17.04.2017 एवं 18.07.2018 के द्वारा मैनुअल राजस्व (पी.डी. खातों में जमा राशि एवं माइनस एक्सपेन्डिचर के चालानों को छोड़कर) प्राप्तियों को भी ई–मोड़ के माध्यम से दिनांक 01.08.2017 से ई–कोषालय से सम्बद्ध किया गया है एवं परिपत्र संख्या एफ.5 (थ–75) डीटीए/आई.एफ.एम.एस./ई–ग्रास/17907-18156 दिनांक 10.09.2013 के द्वारा ई–ग्रास के माध्यम से जमा हुए ऑनलाइन राजस्व के रिफण्ड के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश जारी किए गये हैं।

ऑनलाइन राजस्व प्राप्तियों के अंक मिलान एवं रिफण्ड की प्रक्रिया विस्तार से वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग के परिपत्र संख्या एफ.5 (थ–75) कोष/IFMS/e-GRAS/20977-21226 दिनांक 07.03.2018 में दर्शायी गई है। इस परिपत्र के बिन्दु संख्या-11 में **"यदि जमाकर्त्ता द्वारा राजस्व जमा कराने हेतु ई–ग्रास सिस्टम के उपयोग में कार्यालय गलत चयन कर लिया जाता है परन्तु बजट मद का वर्गीकरण व अन्य सभी अंकित सूचनाऐं सही पायी जाती है तो बजट मद से सम्बद्ध विभागाध्यक्षों/बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा विभागीय नियमों के अन्तर्गत दी गयी सक्षमता में प्रकरणों का निस्तारण स्वंय के स्तर पर सुनिश्चित किया जायेगा।"**

अतः विभाग के अधीनस्थ समस्त उप पंजीयक कार्यालयों एवं वृत्त–कार्यालयों में राजस्व प्राप्तियों में उपरोक्तानुसार यदि जमाकर्त्ता द्वारा कार्यालय का गलत चयन कर लिया जाता है, ऐसी स्थिति में ई–ग्रास सिस्टम में चयन किये गये कार्यालय द्वारा उक्त चालानों को डिफेस किया जावें, जिसकी सूचना सेवा–प्रदाता कार्यालय को दी जावें ताकि सेवा–प्रदाता कार्यालय द्वारा जमाकर्त्ता को वांछित सेवाऐं प्रदान की जा सके।

(रेणु जयपाल)
महानिरीक्षक

क्रमांक : एफ–1 (5) लेखा/रा.रि./विविध/2018-19/ 582-1126 दिनांक 9/10/2018

प्रतिलिपि :– 1. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, वृत्त–कार्यालय।
2. समस्त उप पंजीयक कार्यालय।

(शैलेन्द्र कुमार परिहार)
वित्तीय सलाहकार
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
राजस्थान, अजमेर।